

संख्या-2080/सैतीस-2-2016-1(32)/2015टीसी।

प्रेषक,
दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-२६ सितम्बर, 2016

विषय:- पशुपालन विभाग में बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें (रा.यो.) योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग-निर्देशिका पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रस्ताव/पत्र संख्या-249/सा०-एक/एक्स-84(120)/बहु.स.प.चि. से./2016-17, दिनांक-19.08.2016 द्वारा बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें (रा.यो.) योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रेषित मार्ग-निर्देशिका (छायाप्रति संलग्न) पर अनुमोदन प्रदान करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत भी करायें।
संलग्नक - यथोक्त।

224/का०/००४/२८/१/१६
संयुक्त सचिव (रा.यो.)
X

27-9-16

का.प्र.का
1

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

मार्ग-निर्देशिका

बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें

(राज्य योजना)

वित्तीय वर्ष 2016-17



पशुपालन विभाग,

उ०प्र०, लखनऊ !

मार्ग-निर्देशिका

कार्यक्रम : बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें

- पशुपालन विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध स्टैटिक पशुचिकित्सा सेवाओं का विस्तार एवं विद्यमान आर्थिक संसाधनों के आधार पर प्रत्येक विकासखण्ड स्तर के पशु चिकित्सालय पर बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवाओं की स्थापना कर पशुचिकित्सा का सुदृढीकरण करते हुये पशुपालकों को अपेक्षित लाभ पहुँचाया जायेगा।
- पशुचिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं पशुपालकों के द्वार तक पशुचिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवीन योजना-बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें (राज्य योजना) चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 से क्रियान्वित की जायेगी।
- योजनान्तर्गत पशुधन विकास हेतु क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप विकास खण्ड स्तर से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के पशु पालकों को पशुचिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, बॉझपन निवारण आदि सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।
- किसी संकामक/महामारी रोग के फैलने की स्थिति में तत्काल रोकथाम की जायेगी।
- पशुओं में शत-प्रतिशत टीकाकरण, मेडिकोलीगल केसेज, कृत्रिम गर्भाधान के सापेक्ष फालोअप, सीरम सैम्पुल एकत्र करने की कार्यवाही निष्पादित की जायेगी।
- वाहनों का परिचालन, रूट निर्धारित कर किया जायेगा। निर्धारित रूट का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये वाहन एम्बुलेन्स नहीं हैं। फलतः इनका एम्बुलेन्स के रूप में किसी भी दशा में प्रयोग नहीं किया जायेगा। इन वाहनों का बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवाओं में ही उपयोग किया जायेगा।
- योजना प्रदेश के 68 जनपदों के 774 विकासखण्डों (बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों को छोड़कर जहाँ योजना पूर्व से संचालित है) में संचालित की जायेगी।

(I) प्रशासनिक

(अ) निदेशालय स्तर

- निदेशालय स्तर पर संयुक्त निदेशक (रोग नियंत्रण) कार्यक्रम के नोडल अधिकारी होंगे।

निदेशक
प्रशासनिक विकास
पशुपालन विभाग,
सं० प्र०, लखनऊ

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव
पशुधन विभाग
सं० प्र० शासन।

- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र० द्वारा कार्यक्रम की अद्यावधिक प्रगति प्रशासनिक विभाग एवं समन्वय विभाग, उ०प्र० शासन को प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

(ब) मण्डल स्तर

- ❖ पशुपालन विभाग के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर पदस्थ अपर निदेशक, ग्रेड-II, कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मण्डल स्तर पर नियंत्रक अधिकारी होंगे।
- ❖ अपर निदेशक, ग्रेड-II, मण्डल के मण्डलीय जनपदों में कार्यक्रम की प्रगति की पाक्षिक समीक्षा करेंगे एवं मासिक प्रगति निदेशालय को उपलब्ध करायेगें।

(स) जनपद स्तर

- ❖ मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी होंगे।
- ❖ कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विकास खण्ड (विकासखण्ड मुख्यालय)/विकास भवन (जनपद मुख्यालय) पर कार्यक्रम की रूपरेखा, योजना के प्रारम्भ की तिथि एवं आवश्यक जानकारियाँ अंकित करते हुये डिस्प्ले बोर्ड लगाया जायेगा।
- ❖ कार्यक्रम क्रियान्वयन के परिपेक्ष्य में आवश्यक रूट-चार्ट, विकासखण्ड स्तर पर नियंत्रक अधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नम्बर आदि का उल्लेख भी डिस्प्ले बोर्ड में अंकित किया जायेगा।
- ❖ कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मण्डलीय अपर निदेशक से समन्वय/आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किये जायेंगे।
- ❖ सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यक्रम की प्रगति की पाक्षिक समीक्षा करेंगे एवं प्रगति रिपोर्ट मण्डलीय अपर निदेशक को उपलब्ध करायेगें।

(II) कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु अनुदेश

(अ) वाहन संचालन हेतु निर्देश

- योजनान्तर्गत वाहनों में चालक के अतिरिक्त 01 पशु चिकित्सा अधिकारी, 01 पशुधन प्रसार अधिकारी/पशु फार्मासिस्ट, 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं आवश्यकतानुसार 1-2 पैरावेटों के बैठने की व्यवस्था होगी।
- योजनान्तर्गत जिस ग्राम में वाहनों को ले जाकर सेवायें प्रदान की जायेंगी, वहां के ग्राम प्रधान/बी.डी.सी. सदस्य/ग्राम पंचायत अधिकारी आदि को पूर्व में सूचित किया जायेगा।
- यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि वाहन को ग्राम में घर-घर न ले जाकर एक अथवा दो स्थानों पर खड़ा करके वहीं से पशुपालकों को सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।
- वाहनों का परिचालन माह में कम से कम 20 दिन अवश्य किया जायेगा।

h

निदेशक
पशुपालन विभाग
उ०प्र० शासन।

३१

(दीपक सिंह)
संयुक्त सचिव
पशुधन विभाग
उ० प्र० शासन।

➤ योजनान्तर्गत वाहनों को योजना से इतर अन्य कार्यों में प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।

(ब) उपकरण/सामग्री/औषधियों की व्यवस्था

- निदेशालय द्वारा अनुमोदित दरों पर वाहनों के उपयोगार्थ आवश्यक उपकरण/सामग्री/औषधियों की नियमानुसार व्यवस्था निदेशालय/जनपद द्वारा सुसंगत मानक मद में स्वीकृत बजट के सापेक्ष की जायेगी।
- योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे वाहनों में निम्नलिखित उपकरणों/सामग्रियों/औषधियों की व्यवस्था की जायेगी:-
 - तरल नत्रजन लघु पात्र (BA-3)
 - पशुचिकित्सा उपकरण किट/इन्स्ट्रूमेण्ट छोटा किट
 - वैक्सीन कैरियर
 - मेडिसिन किट
 - कोल्डचेन की व्यवस्था(थर्मोकॉल बाक्स)
 - अन्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री।

S. No.	Particulars	Descriptions
1.	Instrument Kit 2' x 1' x 6" (weight 5 Kg Approx.)	Scissors, B.P. Handle, B.P. Blades, Artery Forceps, Suturing Needle, Suturing Thread, Clamps, Syringes- 50 ml, 20 ml, 10 ml, Needle, Glass Slides, Cover Slips, Cryovials, Thermometer, Stethoscope, etc.
2.	Dystocia & P.M. Sets 2.5' x 1.2' x 8" (weight 8-10 Kg Approx.)	With Necessary instruments, One Castrator
3.	Medicine Box 2' x 1.5' x 6" (weight 3-6 Kg Approx.)	30 Vials of Antibiotics Drugs, 30 Vials of Analgesic Drugs, 20 Vial of Anti allergic Drug, 20 Vials of Anti-inflammatory Steroids, 20 Vials of Drugs against Trypanosomiasis, 20 Vials of Liver supporting Drugs Vitamin-A & Multivitamin and Liver extract, Anthelmintic, Insecticides, Hormones, Antiseptic/Antimycotic, Disinfectants, Antimaggot/Antifly, Intramammary infusion and other supportive medicines, etc.
4.	Mineral Mixture (weight 10-20 Kg Approx.)	1 Kg x 10 Packet. 5 kg x 4 Packet.
5.	Artificial Insemination Kit Cylindrical Size Height 1.5'	BA-3 LN2 Container with 3 goblets (2 for Cow Bull Semen 1 for Buffalo Bull)

he

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		Gloves, Arm Sleeves, Thawing Apparatus A.I. Guns, Sheeth, etc
6.	Rope (8-10' long Approx.)	For Casting of Animals
7.	Vaccine Carrier with Ice Packs 15 x 12 x 23cm (weight 1.00 Kg Approx.)	One
8.	Douche Can with Rubberpipe One Liter	One
9.	Miscellaneous	Dog Mask, Muzzle, Bucket, Mug etc. Splints, Gypsum, Bandage, Cotton, Apron, Douching Can, Potassium Permagnet, Acriflavine, Doctors Coat, Handwash, etc.

hcr

संयुक्त सचिव
पशुधन विभाग
उ० प्र० शासन।

सिवा

— 9/12
(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव
पशुधन विभाग
उ० प्र० शासन।